न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –72/2019

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
लादूराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सुराणा तहसील व जिला नागौर राजस्थान		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री मधुर सिखवाल।
2. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 05/03/2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार मूण्डवा द्वारा मुकदमा नम्बर 56/2019 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर बनाम लादूराम पुत्र मोटाराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी भू अभिलेख एंव निरीक्षक मण्डल जोधियासी द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार नागौर के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर खसरा नम्बर 90 गैर मुमकिन रास्त की भूमि पर 0.15 बीघा अपीलांट लादूराम पुत्र मोटाराम द्वारा संवत 2076 में कब्जा कर लिया गया है एंव साथ में नजरी नक्शे की एक प्रति भी प्रस्तुत की गई। जिस पर तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलांट को एक नोटिस दिनांक 26.07.2019 को प्रेषित किया गया एंव उसी दिन अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रकरण दर्ज किया गया, जो प्रकरण संख्या 94/2019 के रूप में दर्ज हुआ एंव उस नोटिस में अपीलांट को दिनांक 30.07.2019 को तहसीलदार नागौर के कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का अंकन किया गया, उस नोटिस में कृषि वर्ष 2076 में अतिचार करने बाबत कथन भी अंकित किया है एंव 00.15 बीघा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण करने का कथन किया है। अपीलांट को उक्त नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् अपीलांट ने दिनांक 30.07.2019 को अपने अधिवक्ता के जरिए तहसीलदार नागौर के न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की एंव जवाब हेतु अवसर चाहा। जिस पर दिनांक 05.08.2019 का अल्प समय देकर जवाब हेतु पत्रावली सुनिश्चित की। तत्पश्चात् तहसीलदार नागौर के न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं होने का कथन अंकित करते हुए अपीलांट ने एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 12/2019 के रूप में दर्ज हुआ। तत्पश्चात् जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.09.2019 के द्वारा उक्त प्रकरण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा के समक्ष स्थानान्तरित कर दिया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति

सुनिश्चित करने के पश्चात अपीलांट ने सम्पूर्ण तथ्यों एंव मौके एंव विधि के संबंध में विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया एंव माननीय अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि अपीलांट के विरूद्ध जो तहसीलदार नागौर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 94/2019 प्रस्तुत किया गया था, उसे ड्रॉप फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 56/2019 कायम किये गये तथा जवाब मय दस्तावेज पेश करने पर अपीलांट की बहस सुनकर जवाब पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अस्वीकार कर खारिज कर दिया तथा जवाब में लिये बिन्दूओ व अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस उठाये गये विधिक, तथ्यात्मक, महत्वपूर्ण, परिस्थितिजन्य व अत्यावश्यक प्रकृति के बिन्दुओ पर गौर तक नहीं किया गया, न कोई जांच की गई, न ही उन पर विधिक मस्तिष्क अप्लाई तक अधीनस्थ न्यायालय ने किया व माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अतिक्रर्मी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया तथा संवत 2074 की लगान दर 0.25 रूपये का 50 गुणा जुर्माना राशि 11.25 रूपये कायम किये गये एंव पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल करके फर्द बेदखली तहसीलदार नागौर को पेश करने व जुर्माना राशि वसूल कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार नागौर को पेश करने व जुर्माना राशि वसूल कर पालना रिपोर्ट तहसीलदार नागौर को पेश करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत की गई है।

निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरूद्ध साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्ध तथा मौके की स्थिति के विरूद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, मगर वर्तमान प्रकरण में मातहत न्यायालय ने इसकी मात्र खानापूर्ति की, अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना लिखित जवाब व उसके अनुसमर्थन में जो सुदृढ दस्तावेजात प्रस्तुत किये, उन पर कोई गौर, सुसंगत व स्पष्ट टिप्पणी व जांच तक नहीं की व करवाई गई तथा महत्वपूर्ण बिन्दूओ को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विधिक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारो का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवलमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही केवलमात्र कागजी तथ्यों के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई है एंव पटवारी हल्का नागौर से जिरह एंव अन्य साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने जो नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्तुत किया है, उससे भी स्पष्ट है कि मौके पर खातेदारी भूमि से अधिक व राजकीय रास्ता भूमि पर अपीलांट का कितना कब्जा है, स्पष्ट नहीं है। ऐसी दशा में मात्र कयास आधारित कार्यवाही पोषणीय नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर 90 वाके मौजा सुराणा में स्थित है, जो गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है, उक्त रास्ता ग्राम चाउ से ग्राम श्यामसर की तरफ जाता है, जो ग्राम चाउ, सुराणा व श्यामसर में सें होकर लगभग चार किलोमीटर लम्बा

है एंव उपरोक्त गांवों में से होकर लगभग 50 से 60 खेतो में सें होकर गुजरता है, उक्त सडक लगभग सात साल पूर्व बनी थी, जो वर्तमान में आज दिन तक अनवरत चल रही है, जिसके संबंध में मौके के फोटोग्राफ जवाब के साथ अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये, वर्तमान में उक्त सडक जो कि खसरा नम्बर 90 वाके मौका सुराणा के रूप में है, इस भूमि पर अपीलांट लादूराम द्वारा कभी भी कब्जा नहीं किया गया, न ही उक्त सडक पर अपीलांट लादूराम ने कभी अपना मकान बनाया, जबकि अपीलांट का मकान वर्तमान में चल रही सडक से लगभग 120 फुट दूर अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 597/49 व 636/49 में बना हुआ है। नजरी नक्शा जो कि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पत्रावली के साथ सलग्न है, उस पर पटवारी चाउ व इंस्पेक्टर आईएलआर जोधियासी के हस्ताक्षर किये हुए है, जो कि दिनांक 26.07.2019 को मुर्तिब की गई है, उक्त नजरी नक्शा किन स्वतंत्र मौतबिरान के समक्ष बनाया गया, पूर्व, पश्चिम, उतर, दक्षिण किस दिशा में कितने भू भाग पर अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण की लम्बाई व चौडाई का अंकन भी नहीं है। अतिक्रमण की गई भूमि के आस पडौस व सडक जिसकी लम्बाई लगभग 4 किलोमीटर है, इसके संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी कथन अंकित नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट मौके पर आकर नहीं बनाई गई है, अपितु कार्यालय में बैठकर ही मुर्तिब की गई है, उसे निरस्त फरमाया जावें। खसरा नम्बर 90 वाके मौजा सुराणा जो कि गैर मुमकिन सडक है, यह सडक 4 किलोमीटर लम्बी है, जो वर्तमान में अनवरत रूप से चल रही है। उक्त सडक के दोनो तरफ लगभग 50–60 काश्तकारो के खेत आये हुए है एंव यह सडक पिछले सात सालों से बनी हुई है। अपीलांट का मकान वर्षो पूर्व बना हुआ है, जो नोटिस अपीलांट को दिया गया है, वह संवत् 2076 में किये गये निर्माण के संबंध में दिया गया है, वास्तव में अपीलांट द्वारा अपना मकान वर्षो पूर्व बना लिया गया था, जिस पर अपीलांट द्वारा विद्युत कनेक्शन भी लिया गया है, जिसका बिल अपीलांट द्वारा लगातार जमा करवाया जाता रहा है। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट द्वारा मकान वर्षे पूर्व बना लिया गया था, सडक का निर्माण उसके काफी वर्षो पश्चात् किया गया था, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार से संवत् 2076 में नये मकान का निर्माण कर सडक पर अतिक्रमण नहीं किया है। इन सम्पूर्ण तथ्यों एंव परिस्थितियों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का व आईएलआर द्वारा मौके पर जाकर किसी भी प्रकार का मौका निरीक्षण नहीं किया गया। इस कारण से भी अपीलांट के विरूद्ध जो कार्यवाही की गई है, उसे निरस्त फरमाया जावें।

खसरा नम्बर 90 जो कि गैर मुमकिन सडक है, लगभग 4 किलोमीटर लम्बी है, जो वर्तमान में अनवरत रूप से आवागमन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है, उक्त सडक पर से रोजाना करीबन हजारो वाहन व हजारो व्यक्तियों द्वारा उपयोग उपभोग में लिया जाता रहा है, अगर खसरा नम्बर 90 पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया जाता एंव मकान बनाकर निर्माण किया जाता तो रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होने से आवागमन भी अवरूद्ध होता एंव आमजन को भी भारी असुविधा होती, वर्तमान प्रकरण में आमजन की तरफ से ऐसा कोई प्रार्थना पत्र, शिकायत तहसीलदार नागौर व जिला कलक्टर नागौर के समक्ष पेश नहीं किया गया है एंव न ही आज दिन तक आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा व बाधा उत्पन्न हो रही है, इससे भी स्पष्ट प्रतीत

होता है कि सडक पर अनवरत रूप से आमागमन का उपयोग होता रहने के कारण किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है, इस कारण से भी अपीलांट के विरूद्ध जो कार्यवाही प्रकरण संख्या 94/2019 तहसीलदार नागौर व पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय ने कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है, वो पोषणीय नहीं है तथा विधि अनुसार पारित किया हुआ नहीं होने से उसे निरस्त फरमाया जावें।

अपीलांट का मकान जो लगभग 80–100 साल पूर्व बना हुआ है, जो पुश्तैनी मकान है, जिस पर अपीलांट लगभग 60–65 साल से स्वंय निवास कर रहा है एंव अपीलांट के पिता व दादा भी इसी मकान में निवास करते आये है। इसके संबंध में अपीलांट अपने विद्युत कनेक्शन के बिल व परिवार के राशन कार्ड की प्रति व अन्य ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त मकान वर्षो पूर्व बना हुआ है एंव सडक का निर्माण पिछले 7 साल पूर्व हुआ है। इस प्रकार पश्चातवर्ती निर्माण सडक है व पूर्ववर्ती निर्माण अपीलांट का मकान है, इससे भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट ने किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है एंव अपीलांट के खिलाफ जो धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई है, उसे निरस्त फरमाया जाना उचित व न्याय संगत था व है। इसके अलावा अपीलांट का उक्त पुश्तेनी मकान के अलावा अन्य कोई मकान भी उक्त खेत में नहीं है।

अपीलांट के द्वारा सिविल न्यायालय में एक सिविल वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी खसरा नम्बर 90 गैर मुमकिन सडक के संबंध में विवाद्यक निश्चित किये हुए है एंव इसी सडक के संबंध में स्थगन आवेदन अपीलांट के पक्ष में स्वीकार हुआ है। सिविल न्यायालय नागौर द्वारा उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 90 गैर मुमकिन सडक वाके मौजा सुराणा के संबंध में आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के संबंध में निर्देश दिये गये है एंव अपीलांट के हक में स्थगन आदेश सिविल न्यायालय नागौर से जारी हो चुका है, जिसकी प्रति भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई, मगर इसे नहीं मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भंयकर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब के साथ अपने आस पडोस व गांववासियों के अपने जवाब के तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये, उन तमाम गवाहो के शपथ पत्र में यह बात एक राय से अंकित रही है कि अपीलांट का मकान लगभग 80 से 100 वर्ष पूर्व बना हुआ है एंव खसरा नम्बर 90 वाके ग्राम मौजा सुराणा जो कि गैर मुमकिन सडक है, ववह निर्बाध रूप से चालू है एंव आवागमन चालू है, अपीलांट लादूराम के द्वारा खसरा नम्बर 90 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इन सब शपथ पत्रों एंव अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब के साथ सलग्न अन्य आवश्यक दस्तावेजो से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता था व है कि अपीलांट द्वारा फसली वर्ष 2076 में किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है। इस कारण से भी अपीलांट के विरूद्ध की गई कार्यवाही चलने काबिल नहीं थी, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित कर भारी विधिक व वाक्याती त्रुटि कारित की है।

खसरा नम्बर 90 जो कि गैर मुमकिन सडक है, के पश्चिम की तरफ अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 597/49 व 636/49 आये हुए है एंव गैर मुमकिन सडक से पश्चिमी तरफ लगभग 120 फीट दूर अपीलांट का मकान बना हुआ है, जो

कि 80 से 100 साल पुराना व वर्षो पुराना है व गैर मुमकिन सडक पिछले सात सालों से बनी हुई है, जिसके संबंध में भी दस्तावेज अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब के साथ प्रस्तुत किये, जिससे भी स्पष्ट रूप से प्रतीत हुआ कि अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का नया निर्माण कर अतिक्रमण नहीं किया गया, इस कारण से भी अपीलांट के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने काबिल थी व है, मगर इसे नहीं मानने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी पूर्वग्रहपूर्ण त्रुटि कारित की है।

ग्राम पंचायत चाउ जिसके अन्तर्गत ग्राम सुराणा आया हुआ है, ग्राम पंचायत व सरपंच से व ग्राम सेवक से इस संबंध में किसी प्रकार की अतिक्रमण रिपोर्ट व शिकायत तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी न ही ग्राम सुराणावासियों के आमजन के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत तहसीलदार नागौर व ग्राम पंचायत चाउ के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत चाउ जो कि कार्यकारी संस्था है, जिसके द्वारा कभी भी अपीलांट के विरूद्ध ऐसी किसी प्रकार की कार्यवाही अतिक्रमण बाबत नहीं की गई थी न ही शिकायत की गई थी, इससे भी स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 90 वाके ग्राम सुराणा जो कि गैर मुमकिन सडक है, उस पर अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस संबंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यहां तक निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी चाहे तो ग्राम पंचायत चाउ से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर जल्दबाजी में, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाब के साथ प्रकरण से संबंधित समस्त प्रकार के दस्तावेज, विधिक दृष्टांत, फोटोग्राफ, सिविल न्यायालय की मौका रिपोर्ट व सिविल न्यायालय की आदेशिका, गवाहो के शपथ पत्र सलग्न प्रस्तुत की, जिन सभी के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा था कि अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का नया निर्माण कर खसरा नम्बर 90 गैर मुमकिन सडक वाके मौजा सुराणा पर कृषि वर्ष 2076 के लिये किसी प्रकार का कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है एंव मौका रिपोर्ट जो कि आईएलआर व पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है, वह मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है एंव मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है। मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 90 जो कि 4 किलोमीटर से लगभग लम्बी सडक है। इस सडक के आस–पास दोनो तरफ लगभग 70–80 खेत आये हुए है, यह सडक ग्राम चाउ से श्यामसर की तरफ जाती है। अगर सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट बनाई होती तो इस सडक के लगते जितने भी खातेदारों के खेत है, उन सभी के मौका रिपोर्ट में अंकन होता। इससे भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अपीलांट ने किसी प्रकार का नया निर्माण व अतिक्रमण नहीं किया है।

मौका रिपोर्ट में जिस प्रकार सडक पर नया मकान बनाकर अतिक्रमण होना अंकित किया गया है, सामान्य मकान बनाने में चार से छः माह का समय लगता है एंव मकान बनाना एक सतत प्रक्रिया है। आवागमन में व्यस्त सडक पर मकान बनाना किसी भी रूप में सम्भव नहीं है। अगर चार–छः माह तक लगातार मकान निर्माण कर आवागमन को बाधित किया जाता तो ग्रामवासियों द्वारा व ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही की जाती। संबंधित अधिकारियों व राजस्व कर्मचारियों को

शिकायत की जाती। इससे भी स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण नही करवाया गया है का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रकरण संख्या 56/2019 अनवान सरकार बनाम लादूराम में आदेश दिनांक 16.10.2019 पारित किया गया, को खारिज किये जाने का आदेश फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर निर्माण कर अतिकमण किया है, जो रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि है। वकील अपीलान्ट ने इस सड़क के संबंध में सिविल न्यायालय से अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन स्वीकार होने का कथन किया है, परन्तु उक्त प्रकरण में तहसीलदार नागौर पक्षकार नहीं है, जो हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में प्रभावी नहीं होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड के अनुसार रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलान्ट द्वारा निर्माण कर अतिकमण किया जाना पटवारी हल्का चाउ एवं भू अभिलेख निरीक्षक जोधियासी की रिपोर्ट से स्पष्ट है एवं नजरी नक्शा में भी अतिकमित क्षेत्र की भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त रास्ते की भूमि पर अतिकमण किया गया है। उक्त रिपोर्ट पर अविश्वास करने के संबंध में कोई ठोस कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है। जहां तक इस सड़क के संबंध में सिविल न्यायालय से अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन स्वीकार होने के संबंध में वकील अपीलान्ट का कथन है, तो उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील में अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट किया है कि "माननीय सिविल न्यायालय नागौर में विचाराधीन प्रकरण लादूराम पुत्र मोटाराम बनाम गेनाराम पुत्र मोटाराम वगैरह का उल्लेख किया गया। लेकिन उल्लेखित प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार (राज्य सरकार) के पक्षकार ने होने, उक्त प्रकरण के व्यक्तिगत दो पक्षकारों के संबंधित है" इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं दस्तावेजों का हस्तगत प्रकरण में सीघे तौर पर कोई संबंध नहीं होने कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जबाब को खारिज किया गया है, जो उचित है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड भिजवाते हुऐ निर्णय की प्रति तहसीलदार मूण्डवा/नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

17/3/2020

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 12:52:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: